संख्या-395 /38-छियालीसे/अनुरक्षण/स्पेयर पार्टस्/EC-135/2003-2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून:दिनॉक 6 सितम्बर, 2004

विषयः- **राज्य के लिये कय किये गये डबल इंजन EC-135 यूरोकॉप्टर हैलीकॉप्टर हेतु स्पेयर पार्टस् एवं अन्य इक्वीपमैन्टस् का कय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-90/ 38-छियालीस/ स0ना0उ0/ पी0एस0/(कैम्प)/अनुरक्षण/स्पेयर पार्टस्/EC-135/2003-2005, दिनॉक 9 फरवरी,2004 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित स्पेयर पार्ट एवं इक्वीपमैन्टस् की सूची एवं दरों के अन्तर्गत भुगतान हेतु स्वीकृत रुपये 1,37,25,772.00 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की सीमा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 373/ 59-सतावन/ बजट/ स0ना0उ0/ 2004- 2005, दिनॉक 18 अगस्त, 2004 द्वारा आपके निवर्तन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 में उपलब्ध कराई गई धनराशि में से वहन करते हुए निम्न विन्दुओं पर भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

i- स्पेयर पार्टस्/इक्वीपमैन्टस् का कय तथा भुगतान का आदेश क्योंकि वर्ष 2004 में देकर उसी वर्ष आपूर्ति हुई है इसलिये निर्माता फर्म की वर्ष 2004 की मूल्य सूची के अनुसार किया जायेगा।

ii- निर्माता फर्म को अतिरिक्त 4 प्रतिशत विक्री कर का भुगतान अन्य राज्य जहां उक्त यूरोकॉप्टर है उन्ही की व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमन्य होगा ।

iii- फर्म को 40 लाख से ऊपर का भुगतान किये जाने की स्थिति में 1.5 प्रतिशत की दर से सी0आई0एफ0 का भुगतान किया जा सकता है ।

iv- उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनॉक 9 फरवरी,2004 के प्रस्तर -18 में लेखाशीर्षक के प्रस्तर को इस सीमा तक संशोधन करते हुए इस प्रस्तर को निरस्त (delete) किया जाता है और अब उक्त उपकरणों /स्पेयर पार्टस का कय निम्नलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित विस्तृत हैड से किया जायेगा।

v- कय /आपूर्ति की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 9 फरवरी, 2004 के अनुसार ही रहेगी।

vi- इस शासनादेश द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति नहीं दी जा रही है वरन् कय की औपचारिकताओं पर प्रशासकीय स्वीकृति ही दी जा रही है जिसका व्यय उपर्लिखित शासनादेश संख्या-373/59-सतावन/बजट/स0ना0उ0/ 2003-2005 दिनांक 18 अगस्त, 2004 द्वारा निवर्तन पर रही गयी धनराशि से ही किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन –80 सामान्य –आयोजनेतर 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन–00– 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1023/वि0अनु–3/2004,दिनॉक–04 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव,

संख्या–395/38–छियालीस/अनुरक्षण/स्पेयर पार्टस्/EC-135/2003–2005,तमदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग,माजरा,देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
3– वित्त अनुभाग–3
4– गार्ड फाइल
5– एन0आई0सी0

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव ।